आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

2002

अर्चना पुरी से पहले। जे.

एन. आई. टी. ए. और अन्य-अपीलार्थी

बनाम

समतुल्य और अन्य-उत्तरदाता 2014 की एफ. ए. ओ. संख्या 5419

30 नवंबर, 2022

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-- धारा 163 ए, 173, दूसरी अनुसूची-11 वर्ष की आयु के नाबालिग बच्चे की मृत्यु; मात्रा; निर्भरता का नुकसान; संघ का नुकसान; गुणक; बच्चे की अनुमानित आय रु। सरला वर्मा के मामले को देखते हुए 30000/- और 16 का गुणक लागू किया गया है। 4, 80, 000/- राशि निर्भरता हानि शीर्षक के तहत प्रदान की जाती है। 44, 000/- प्रत्येक को संघ के नुकसान के लिए सम्मानित किया गया।

अभिनिर्धारित किया कि मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का शीर्षक द

न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सोमवती और अन्य, 2020 की सिविल अपील No.3093 ने 07.09.2020 पर निर्णय लिया। यह आगे था प्रणय सेठी के मामले (ऊपर) में कहा गया है कि उपरोक्त राशि को हर तीन साल के बाद 10 प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। जैसा कि उक्त निर्णय दिनांकित 31.10.2017 है, इसलिए 10 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए, जो Rs.44,000/- 'संघ के नुकसान' के रूप में आती है। उसी के आलोक में, अपीलकर्ता-दावेदार संख्या 1 और 2 (माता-पिता) प्रत्येक Rs.44,000/- की सीमा तक 'संघ के नुकसान' की गणना पर मुआवजे के हकदार हैं, और इस प्रकार, कुल Rs.88,000/- आता है।

(पैरा 11)

अपीलार्थियों की ओर से किरण बाला जैन, अधिवक्ता। प्रतिवादी No.3-Insurance कंपनी के लिए रविंदर अरोड़ा, अधिवक्ता।

अर्चना पुरी, जे. (1) वर्तमान अपील में चुनौती मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 01.11.2013 के पुरस्कार के लिए है, जिसके तहत, अपीलकर्ता-दावेदारों को उनके बेटे, अर्थात् शुभम (अपीलकर्ता-दावेदार संख्या 3 के भाई) की मृत्यु के कारण मुआवजा दिया गया था, जिनकी आयु लगभग 11 वर्ष थी, एक मोटर वाहन दुर्घटना में, जो 13.08.2012 पर हुई थी।

(2) साक्ष्य के मूल्यांकन पर, ए. एन. आई. टी. ए. और अन्य बनाम इकबाल और अन्य की मृत्यु का उल्लेख किया गया।

2003

( अर्चना पुरी, जे.)

(6) यह विचार करने के लिए पर्याप्त है कि अपीलार्थी-दावेदार, जो मृतक की माँ है, ने अपने हलफनामे में दुर्घटना के बारे में स्पष्ट रूप से बयान दिया है और इसके परिणामस्वरूप उसके 11 साल के बेटे शुभम की मृत्यु हो गई है। इसके अलावा, एक चश्मदीद गवाह, अर्थात् पीडब्लू-3 के रूप में अमित कुमार से पूछताछ की गई है, जिसने दुर्घटना होने के तरीके और उसी के कारण शुभम की मौत के बारे में गवाही दी थी। यहां तक कि पीडब्लू-1 राजेश कुमार, क्रिमिनल अहलमद से भी पूछताछ की गई है, जिन्होंने रिकॉर्ड को साबित किया था, प्राथमिकी के संबंध में दुर्घटना और उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक इकबाल सिंह के बारे में भी आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए दर्ज किया गया था। उपरोक्त साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, दुर्घटना का तथ्य, पंजीकरण वाले ऑटो रिक्शा No.HR-37C-4532 के उपयोग के कारण, जिसके परिणामस्वरूप शुभम की मृत्यु हो गई, पूरी तरह से स्थापित है। (7) इस पृष्ठभूमि में, अब न्यायाधिकरण द्वारा मुआवजे पर काम करने पर वर्तमान अपील में सवाल उठाया गया है। विद्वत न्यायाधिकरण ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163ए के तहत दायर याचिका के तथ्य को ध्यान में रखते हुए और चूंकि मृतक बच्चा कमाने वाला सदस्य नहीं था, इसलिए विद्वत न्यायाधिकरण ने मुआवजे को तय करने के उद्देश्य से अनुसूची-II के अनुसार अनुमानित आय पर विचार किया। विद्वान न्यायाधिकरण ने आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा से अनुमानित आय लेकर मुआवजे का आदेश दिया था।

2022(2)

2004

मृतक की संख्या Rs.15,000/- प्रति वर्ष के रूप में और 1/3 भाग की कटौती करके, निर्भरता को Rs.10,000/- प्रति वर्ष के रूप में लिया और मृतक की माँ की आयु को ध्यान में रखते हुए, '16' का गुणक लागू किया। इस प्रकार, मुआवजे पर Rs.10,000x16 = रु. 1,60,000-के रूप में काम किया गया था। इसके अलावा, शव के परिवहन, अंतिम संस्कार और अंतिम संस्कार के कारण हुए खर्च के कारण, कुछ अन्य <ID1,000/- की मंजूरी दी गई थी। बच्चे की भविष्य की संभावनाओं के कारण Rs.25,000/- की राशि भी प्रदान की गई थी। इस प्रकार, कुल मिलाकर, न्यायाधिकरण द्वारा रु. 2,05,000-की सीमा तक का मुआवजा दिया गया।

(8) कुरवन अंसारी नामक मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय

उर्फ कुरवन अली और दूसरा बनाम श्याम किशोर मुर्मू और दूसरा, 2021 की सिविल अपील No.6902 ने 16.11.2021 पर फैसला किया वर्ष 2004 में हुई मोटर वाहन दुर्घटना में 7 साल के बच्चे की मौत के मामले पर विचार किया गया और कुछ टिप्पणियां कीं, जो इस प्रकार हैंः -

“11. चूंकि दावा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 163-ए के तहत किया गया था, चूंकि मृतक बच्चा कमाने वाला सदस्य नहीं था, इसलिए न्यायाधिकरण ने मुआवजा तय करने के उद्देश्य से अनुसूची-II के अनुसार अनुमानित आय पर विचार किया है। न्यायाधिकरण ने निर्णय की तारीख (2009) 14 एस. सी. सी. 1 (2014) 1 एस. सी. सी. 244 (2020) 7 एस. सी. सी. 256 से प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ निर्भरता के नुकसान के लिए गुणक '15' लागू करके मृतक की अनुमानित आय Rs.15,000/- प्रति वर्ष लेकर मुआवजे का आदेश दिया है। जब बीमा कंपनी के साथ-साथ अपीलकर्ताओं द्वारा इसमें अपील की जाती है, तो विवादित सामान्य निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया है, और दावेदारों द्वारा की गई अपील में, निर्भरता के नुकसान के लिए दिए गए मुआवजे की पुष्टि करते हुए, अंतिम संस्कार के खर्च के लिए Rs.15,000/- की अतिरिक्त राशि प्रदान की है और तदनुसार, प्रतिवादी संख्या 2-बीमा कंपनी द्वारा प्रति वर्ष देय ब्याज @6% के साथ कुल ₹. 2,40,000 का मुआवजा प्रदान किया है और इसे प्रति वर्ष देय राशि की वसूली करने की अनुमति दी है। मोटरसाइकिल के मालिक-प्रतिवादी संख्या 1 से भी ऐसा ही है। 12. पुट्टम्मा और अन्य के मामले में निर्णय में, इस न्यायालय ने कहा है कि केंद्र सरकार को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 163ए (3) को ध्यान में रखते हुए अनुसूची-2 में संशोधन करने का कर्तव्य दिया गया था, लेकिन यह एएनआईटीए और अन्य बनाम आईक्यूबीएएल और अन्य है।

2005

( अर्चना पुरी, जे.)

14. इस मामले में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दुर्घटना 06.09.2004 पर थी। बार-बार निर्देशों के बावजूद, अनुसूची-II में अभी तक संशोधन नहीं किया गया है। इसलिए, गैर-कमाने वाले सदस्यों के लिए अनुमानित आय Rs.15,000/- प्रति वर्ष निर्धारित करना उचित और उचित नहीं है। 15. पुट्टम्मा और अन्य, आर. के. मलिक और अन्र और किशन गोपाल और अन्र के मामलों में निर्णयों को देखते हुए, हमारा विचार है कि मुद्रास्फीति, रुपये के अवमूल्यन और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए अनुमानित आय में वृद्धि करना एक उपयुक्त मामला है। उसी को ध्यान में रखते हुए, राजेंद्र सिंह और अन्य के मामले में प्रतिवादी No.2-Insurance कंपनी के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया निर्णय बीमा कंपनी के मामले में कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा। ”

(9) उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने मृतक बच्चे की अनुमानित आय को प्रति वर्ष Rs.25,000/- के रूप में लिया और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163-ए के तहत दावों की अनुसूची-II में निर्धारित '15' का गुणक लागू किया और मुआवजे पर रुपये के रूप में काम किया। 3. 75 लाख, निर्भरता के नुकसान के लिए। इसके अलावा, दावेदारों को, जो संख्या में दो थे, कुल 1,000/- दिए गए और कुल 1,000/- अंतिम संस्कार के खर्च के लिए दिए गए। कुल मुआवजे पर आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा के रूप में काम किया गया था।

2022(2)

2006

(13) विद्वान न्यायाधिकरण ने भावी खुशी के लिए मुआवजे का भी प्रावधान किया था, लेकिन यह 1 2009 (3) आर. सी. आर. (सिविल) 77 के तहत आता है।

2 2017(4) आर. सी. आर. (सिविल) 1009 ए. एन. आई. टी. ए. और अन्य बनाम समान और अन्य

2007

( अर्चना पुरी, जे.)

संघ का नुकसानः Rs.88,000/- (Rs.44,000 x 2) अंतिम संस्कार का खर्चः Rs.16,500/- कुल

: रुपये. 5,84,500 -

(15) विद्वत न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार बढ़ी हुई राशि को विभाजित किया जाएगा और अपीलकर्ता-दावेदारों के बीच जारी किया जाएगा। विवादित पुरस्कार के शेष कार्यकाल समान रहेंगे।

(16) उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, अपील की अनुमति है।

डॉ. पायल मेहता 3 2018 (18) एससीसी 130